



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा— वर्ष 2020

परीक्षा कार्यक्रम

(सैद्धान्तिक परीक्षाओं के लिये)

समय— प्रातः 08.30 से 11.45 तक

वार/दिनांक	विषय (कोड)
गुरुवार, 05 मार्च, 2020	अंग्रेजी अनिवार्य (02)
शुक्रवार, 06 मार्च, 2020	दर्शनशास्त्र (85)
शनिवार, 07 मार्च, 2020	हिन्दी अनिवार्य (01)
रविवार, 08 मार्च 2020	रविवार अवकाश
सोमवार, 09 मार्च, 2020	होलिका दहन अवकाश
मंगलवार, 10 मार्च, 2020	धुलण्डी अवकाश
बुधवार 11 मार्च, 2020	राजनीति विज्ञान (11)
गुरुवार, 12 मार्च, 2020	पर्यावरण विज्ञान (61)
शुक्रवार, 13 मार्च, 2020	समाज शास्त्र (29)
शनिवार, 14 मार्च, 2020	अन्तराल
रविवार 15 मार्च, 2020	रविवार अवकाश
सोमवार, 16 मार्च, 2020	शारीरिक शिक्षा (60)
मंगलवार, 17 मार्च, 2020	इतिहास (13)
बुधवार, 18 मार्च, 2020	लोक प्रशासन (06)
गुरुवार, 19 मार्च, 2020	अर्थशास्त्र (10)/ शीघ्र लिपि-हिन्दी (32)/अंग्रेजी (33)
शुक्रवार, 20 मार्च, 2020	सामान्य विज्ञान (56)
शनिवार 21 मार्च 2020	भूगोल (14)
रविवार 22 मार्च 2020	रविवार अवकाश
सोमवार, 23 मार्च, 2020	मनोविज्ञान (19)
मंगलवार 24 मार्च, 2020	हिन्दी साहित्य (21)/ टंकण लिपि (अंग्रेजी)(35) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे।)
बुधवार, 25 मार्च, 2020	गणित (15)
गुरुवार 26 मार्च, 2020	चेटीचण्ड अवकाश
शुक्रवार, 27 मार्च, 2020	अंग्रेजी साहित्य (20)/ टंकण लिपि (हिन्दी)(34) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे।)
शनिवार, 28 मार्च, 2020	चित्रकला (17)
रविवार, 29 मार्च, 2020	रविवार अवकाश
सोमवार, 30 मार्च, 2020	सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग (03)
मंगलवार, 31 मार्च, 2020	गृह विज्ञान (18)
बुधवार, 01 अप्रैल 2020	संस्कृत वाङ्मय: (94)
गुरुवार 02 अप्रैल 2020	रामनवमी अवकाश
शुक्रवार 03 अप्रैल 2020	ऋग्वेद (44)/ शुक्ल यजुर्वेद (45)/ कृष्ण यजुर्वेद (46)/ सामवेद (47)/ अथर्ववेद (48)/ न्याय दर्शन (49)/ वेदान्त दर्शन (50)/ मीमांसा दर्शन (51)/ जैन दर्शन (52)/ निम्बार्क दर्शन (53)/ वल्लभ दर्शन (54)/ सामान्य दर्शन (55)/ रामानन्द दर्शन (57)/ व्याकरण शास्त्र (86)/ साहित्य शास्त्र (87)/ पुराणेतिहास (88)/ धर्मशास्त्र (89)/ ज्योतिष शास्त्र (90)/ सामुद्रिक शास्त्र (91)/ वास्तुविज्ञान (92)/ पौरहित्य शास्त्र (93)

- नोट:-1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
- परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
 - दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा/जन्मजात विकलांगता यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD (ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिस्ऑर्डर, प्रमस्तिष्कीय, पक्षघात, बहुविकलांगता, थैलिसिमिया, हिमोफिलिया) पर लागू होगी तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
 - अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
 - भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना इंस्ट्रुमेंट बॉक्स साथ लायेंगे।
 - परीक्षा कक्ष में केलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
 - टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे। विद्यालय को जहां के परीक्षार्थी टंकण लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहें हों तो उन्हें प्रत्येक चार छात्रों के लिये एक टंकण यन्त्र केन्द्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यन्त्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से चार के बजाय पांच परीक्षार्थियों के लिये एक टंकण यन्त्र भेज सकते हैं। स्वयंपाठी परीक्षार्थी स्वयं ही टंकण यन्त्र का प्रबन्ध करेंगे। परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक टंकण यन्त्र उपलब्ध न हो तो केन्द्राधीक्षक को चाहिये कि उपलब्ध टंकण यन्त्रों के अनुसार परीक्षार्थियों के दल बना लें। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची एवं उन्हें किस समय परीक्षा केन्द्र पर आना है, इसकी सूचना दें देंगे। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्र कर लिये जावेंगे तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जायेगी। सम्बन्धित दल की परीक्षा प्रारम्भ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केन्द्र पर बुलाया जावे।
 - परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।
 - प्रश्न-पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
 - प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
 - प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त में "समाप्त" शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।